17.12.19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षान बहस जा-पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश के दिनांक 23.12.19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रथम) ,सीकर

चन्द्र सिंह आदि बनाम जीवण सिंह आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र–212 मुकदमा नं0 02/2019

23.12.19	पत्रावली वास्ते निर्णय आवेदन पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अं0 धारा 212 आरटीएक्ट पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित । वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र एंव जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के आदेश ~~दिनांक~~ दिनांक 11.01.19 के द्वारा ग्राम अजबपुरा प0ह0 सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित विवादित कृषि आराजी ख0नं0 1069 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 1070 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 1071 रकबा 3.29 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.31 है0 के बाबत अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से बेचान/रहन नहीं करने बाबत पाबन्द किया गया था। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 ता 6 जरिये वकील उपस्थित आये तथा जवाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र जो कि केवल कल्पनाओं के आधार पर तैयार किया गया होना, बताते हुए आवेदन पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर 1/2 हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार होना बताते हुए हिस्सा 1/2 में हिस्सा 1/3 वादी सं0 1 का,हिस्सा 1/3 वादी सं0 2 तथा हिस्सा 1/3 वादी सं0 3 ता 8 का घोषित करने हेतु निवेदन किया है। समस्त पक्षकारों को साक्ष्य/सबुत व तथ्य पेश करने हेतु अवसर दिया जाकर ही दावे का अंतिम निर्णय किया जाना है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप है। वकील प्रार्थीगण की बहस/कथनों से हम सहमत एंव संतुष्ट है। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तादौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी ख0नं0 ख0नं0 1069 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 1070 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 1071 रकबा 3.29 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.31 है0 वाके तन अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ में बाबत प्रार्थीगण को उनके हिस्सा 1/2 की भूमि से जबरन व ताकत के बल पर बेदखल करने,विक्रय अंतरण व प्रभारण करने तथा उनके हिस्सा 1/2 की मुआवजा राशि अप्रार्थी सं0 7 से प्राप्त करने से बाज रहे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो। मूल वाद के संलग्न रह। (सरिता)	